स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 25/11/2019

File No. Press Clipping/4/2019/RU-III

सेवा में,

1. सचिव,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार,
ग्राउंड फ्लोर, 'डी' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली – 110001

2. सचिव,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार,
नॉर्थ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय,
नई दिल्ली, 110001

3. सचिव,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली

विषयः अनुसूचित जनजातियों के दमन के संबंध में सरकार द्वारा कानून बनाए जाने संबंधी अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वक्तव्य पर "नई दुनिया" एवं अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के संबंध मे **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 16.10.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 16.10.2019 का 03.00 बजे डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को एक माह (30 दिनों) के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर.के.दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि पेषित सूचनार्थः

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
2. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Press clipping/4/2019/RU-III)

अनुसूचित जनजातियों के दमन के संबंध में सरकार द्वारा कानून बनाए जाने संबंधी अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वक्तव्य पर 'नई दुनिया' एवं अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2019 को 03.00 बजे आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 16.10.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. 'नई दुनिया' एवं अन्य समाचार पत्रों में अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुसूचित जनजातियों के दमन संबंधी वक्तव्य प्रकाशित होने के संबंध में आयोग द्वारा संज्ञान लेकर दिनांक 03.05.2019 को अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नोटिस भेजा गया था। प्रकरण में दिनांक 13.05.2019 को अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उनकी वकील सुश्री तरन्नूम चीमा का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उनके द्वारा आयोग को जवाब देने के लिए 04 सप्ताह का समय मांगा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु 02 सप्ताह का समय दिया गया।
2. दिनांक 04.06.2019 को अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वकील तरन्नूम चीमा की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया था कि अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिनांक 23.04.2019 को शहडौल, मध्यप्रदेश में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 19(क) और अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत पार्टी अध्यक्ष राजनीतिक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करते हुए भारतीय वन अधिनियम, 2019 तैयार कर राज्य सरकारों को उनके सुझावों के लिए भेजे जाने का उल्लेख किया था जिनका जनजातीय समुदायों पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है। इस प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट (वन नीति), वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों के पीसीसीएफ तथा वन विभाग के प्रमुखों को पत्र संख्या F.No.2-1/1997-FP(Vol.6) दिनांक 7.3.2019 द्वारा भेजा गया है।

3. इस पृष्ठभूमि में आयोग द्वारा दिनांक 16.10.2019 को बैठक आहूत की गई जिसके लिए दिनांक 09.10.2019 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय (भारत सरकार); सचिव, गृह मंत्रालय (भारत सरकार); सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भारत सरकार) को बैठक के लिए नोटिस भेजा गया।

4. दिनांक 16.10.2019 को आहूत बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय के उदबोधन से शुरू हुई जिन्होंने कहा कि विगत लोकसभा निर्वाचन के समय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर आयोग को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के हनन और उनके दमन के संबंध में आयोग ने नियमानुसार नोटिस जारी कर मामले से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में आयोग के सामने यह जानकारी लाई गई कि भारत सरकार ने वन अधिनियम, 1927 के खंड 66 और अन्य उपखंडों में संशोधन का निर्णय लिया है एवं वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों को दिनांक 07.03.2019 को पत्र लिखकर उनसे अपने सुझाव/विचार भेजने का अनुरोध किया है।

   इस संबंध में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत अन्य सामाजिक संगठनों ने भी आयोग को अपने अभ्यावेदन एवं विचार प्रेषित किए हैं जिनमें भारतीय वन अधिनियम में प्रस्तावित संशोंधनों को प्रतिगामी और अनुसूचित जनजातियों के लिए अन्यायकारी बताया गया है। उन्होंने प्रस्तावित संशोधनों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को असीमित अधिकार देने को अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के हितों के विपरीत माना है जिन्हें सरकार ने ही वन अधिकार कानून,2006 बनाकर सशक्त करने का कार्य किया था। आयोग इन प्रस्तावित संशोधनों को लेकर चिंतित है विशेष रूप से ऐसे प्रावधानों पर जैसे कि :-

   (i) जनजातियों को वनाधिकार कानून में मिले वनों से आजीविका के अधिकारों पर अन्यायपूर्वक रोक,

   (ii) उसे मिली वन भूमि पर खेती-बाड़ी करने के अधिकारों का हनन एवं इस भूमि को वापस लेना,

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(iii) पेसा कानून, वनाधिकार एवं जैव विविधता अधिनियमों के अंतर्गत सामुदायिक वन भूमि/ वन संसाधनों का प्रबंधन व विकास करने के उनके अधिकारों को छीनना,

(iv) वन अधिकारियों को वनाधिकार कानून के अंतर्गत आवंटित या मान्य की गई वनभूमि का अधिग्रहण करने के लिए 1894 के रद्द भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत कलेक्टर की भूमिका देना,

(v) वन अधिकारियों को वनभूमि, वनोत्पाद एवं वन्य जीवों की रक्षा के नाम पर आग्नेयास्त्रों की खुली छूट देना।

(vi) जंगल में आग बुझाने या वन-संरक्षण के किसी अन्य कार्य में सहयोग नहीं देने के आरोप लगाकर पूरे समुदाय के वनोपाज या अन्य अधिकारों को निरस्त करने की सीमा के असीमित-अनियंत्रित अधिकार वन अधिकारियों को देना,

(vii) ऐसे मिथ्या आरोपों के मामले में न्यायालयों में जाने के बाद राज्य सरकारें न्यायालय की अनुमति से भी मामले वापस नहीं ले सकती, जब तक केंद्र की अनुमति न हो,

(viii) प्रस्तावित "उत्पाद आरक्षित वनों" को घोषित करने या वहां के लोगों की उपस्थिति वन,पर्यावरण या वन्य जीवों के संरक्षण के हित में अवांछित है, इस नाम पर उनकी भूमि छीनना,

(ix) वनाधिकार कानून के अंतर्गत आवंटित भूमि को विकसित करने हेतु उस भूमि को बंधक या जमानत पर रखकर बैंकों से ऋण लेने पर रोक जिसकी अनुमति वनाधिकार कानून देता है,

बैठक में उपस्थित संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत कराएं और अपने-अपने मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का हनन रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के संबंध में आयोग को जानकारी दें।

5. महानिदेशक (वन) वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि इसी संदर्भ में एक संसदीय प्रश्न प्राप्त हुआ है जिसका उत्तर मंत्रालय के द्वारा दिया गया था जो इस प्रकार है – वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के जरिए वनाधिकार कानून 2006 और पेसा कानून 1996 में प्रदत अधिकार को सीमित करने के किसी प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया है।

स्वतंत्रता के बाद 11 राज्यों ने अपना वन अधिनियम बनाया है, भारतीय वन अधिनियम बाकी के अन्य राज्यों में लागू है जहां राज्य का कानून नहीं है। राज्य के वन अधिनियमों में

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

समय-समय पर संशोधन भी हुआ है जबकि भारतीय वन अधिनियम में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए विगत 90 वर्षों में हुए विकास और राज्यों के साथ तारतम्यता बनाए रखने के लिए भारतीय वन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई। मंत्रालय में वर्ष 2017 में तकनीकी और कानून विशेषज्ञों को लेकर एक प्रारूप समिति गठित हुई जिसने अधिनियम का कानूनी और तकनीकी बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण किया और वन अधिनियम में संशोधन की अनुशंसा की। मंत्रालय के द्वारा इसे "जीरो ड्राफ्ट" प्रारूप माना गया है। यह संबंधित राज्यों को भेजा गया है और उनसे इस पर सुझाव मांगा गया है। राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को "जीरो ड्राफ्ट" भेजा गया है उनके सुझाव और सहमति के आधार पर ही संशोधन कर नया प्रारूप बनाया जाएगा। इस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा या नहीं, इस संबंध में भी मंत्रालय के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। अगर प्रारूप तैयार किया जाएगा तो इसे विमर्श हेतु विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों को भेजा जाएगा तथा चर्चा के लिए सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जाएगा। सभी क्षेत्रों से सहमति के बाद ही इसमें संशोधन किया जाएगा।

6. उक्त प्रारूप में वन अधिकारियों को असीमित अधिकार देने संबंधी जानकारी पर आयोग ने चिंता जाहिर की। अनुसूचित जनजातीय संगठनों के द्वारा चिंता प्रकट की जा रही है कि इसके बाद वनों पर निर्भर अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे और वनाधिकार कानून आदि से मिले लाभों से उन्हें वंचित होना पड़ेगा।

7. वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा में पहले से इस तरह का वन अधिनियम है। इस प्रारूप में सीआरपीसी 197 के तहत लोक सेवक को अपने आत्मरक्षा में बचाव के लिए कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

8. जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को इस विषय पर कोई प्रारूप वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुआ है।

9. आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुशंसा की गई-

   - ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे वनों में निवासरत और उन पर निर्भर अनुसूचित जनजाति के लोगों को परेशान होना पड़े। वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारूप नहीं माना जाना चाहिए। आयोग इस प्रकार के प्रस्ताव से बहुत चिंतित है और इसे जनजातियों के हितों के विपरीत मानता है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- अन्य राज्यों में जहां भी इस तरह का कानून है, उसकी सूची और कानून की जानकारी आयोग को दी जाए।
- इस विषय पर होनेवाली अगली बैठक में कानून मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया जाना चाहिए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 1 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए।

14.11.09

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Press clipping/4/2019/RU-III)

अनुसूचित जनजातियों के दमन के संबंध में सरकार द्वारा कानून बनाए जाने संबंधी अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वक्तव्य पर 'नई दुनिया' एवं अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के संबंध में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2019 को 03.00 बजे आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.) श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष महोदय
(2.) श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य
(3.) श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा, माननीय सदस्य
(4.) श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
(5.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
(6.) श्री आर. के. दुबे, स. निदेशक
(7.) श्री विकास शर्मा, कानूनी सलाहकार
(8.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक

- **जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार**

(1.) श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव

- **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार**

(1.) श्री सिद्धांत दास, डीजी (वन) व वि. सचिव
(2.) नोएल थोमस, आईजी (वन)